

ई-नीलामी सूचना

ऋण वसूली अधिकरण

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवायें विभाग (बैंकिंग प्रभाग)

द्वितीय एवं तृतीय तल, संचार विकास भवन (बीएसएनएल बिल्डिंग), रेजीडेंसी रोड,
हेड पोस्ट ऑफिस के पास, साउथ सिविल लाइन, जबलपुर (म.प्र.) 482001

प्रकरण संख्या: RC 285/2019/ओ.ए. संख्या: 995/2018

ई-नीलामी संख्या /५९ / 2026

BANK OF BARODA वि. M/S LIFE GUARD FOOD & DRINKS एवं अन्य में पारित वसूली प्रमाणपत्र क्रमांक RC No. RC 285/2019/ O.A. No.995/2018 में जारी राशि की वसूली हेतु प्रमाण पत्र Rs.1,26,82,411.00 (Rupees One Crore Twenty Six Lakh Eighty Two Thousand Four Hundred Eleven only) तथा उस पर 11.00 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दिनांक 20.08.2018 से ब्याज एवं वसूली हेतु निम्नलिखित संपत्ति ऑनलाईन ई-नीलामी प्रक्रिया के तहत वेबसाइट <https://baanknet.com> के माध्यम से की जायेगी।

ई-नीलामी की तिथि एवं समय :-19-08-2026 दोपहर: 12.00 से 01.00 बजे तक

संपत्ति की अनुसूची

क्र.सं.	विक्रय हेतु प्रस्तावित संपत्ति का विवरण	आरक्षित/न्यूनतम मूल्य	ई.एम.डी. राशि
1.	(1) Land and Building on Leasehold Land having Plot No. 25 situated at Industrial Area, Berchha Road, Tehsil & District: Shajapur (M.P.) Area of Land 7425 Sq.ft. and Constructed Area 5680 Sq.ft., Property in the name of M/s. Lifeguard Foods & Drinks through its Proprietor Smt. Pooja Sharma. (2) Industrial Land having Khasra No. 163, situated at Village: Bayda, Patwari Halka No.51, Tehsil & District: Shajapur (M.P.) Area admeasuring 22500 Sq.ft., Property in the name of Smt. Pooja Sharma W/o Shri Rajkumar Sharma.	for Prop. No.1 Rs.31,50,000.00 (Rupees Thirty One Lakh Fifty Thousand only); Prop. No.2 Rs.37,30,000.00 (Rupees Thirty Seven Lakh Thirty Thousand only);	for Prop. No.1 Rs.3,15,000.00 (Rupees Three Lakh Fifteen Thousand only); Prop. No.2 Rs.3,73,000.00 (Rupees Three Lakh Seventy Three Thousand only);

विक्रय की शर्तें एवं नियम

- विक्रय की सभी शर्तें ऋणों की वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के प्रावधानों तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूचियों, आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के साथ पठित प्रावधानों द्वारा शासित होंगी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों से भी निर्देशित होंगी।
- इच्छुक बोलीदाता निम्न सेवा प्रदाता से ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

नीलामी एजेंसी	Bank Asset Auction Network (BAANKNET)
हेल्पलाइन नं.	+91- 82912 20220
हेल्पलाइन ईमेल	support.baanknet@psballiance.com
बैंक अधिकारी	Mr. Ashish Kalra, AGM, Mob. No. 9810553775
संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	03-08-2026 दोपहर 12:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक

इच्छुक बोलीदाता बोली प्रपत्र, विस्तृत विवरण एवं विक्रय की शर्तों हेतु वेबसाइट <https://baanknet.com> का अवलोकन करें।



22.08.26

4. बोलियाँ (bids) केवल ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएँगी। प्रत्येक बोली के साथ पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण, पहचान-पत्र, ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा। कंपनी के मामले में, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित बोर्ड प्रस्ताव (Board Resolution) की प्रमाणित प्रति अथवा कंपनी की ओर से प्रतिनिधित्व/अधिकार-पत्र (Power of Attorney/Authorization) को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य वैध दस्तावेज बोली प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा। बोलीदाता संपत्ति के विवरण, क्षेत्रफल/माप, प्रभारों (Encumbrances), दायित्वों तथा अन्य संबंधित तथ्यों की शुद्धता एवं सत्यता के संबंध में स्वयं अपने स्तर पर संबंधित सरकारी कार्यालयों अथवा अन्य सक्षम स्रोतों से जांच-पड़ताल कर पूर्णतः संतुष्ट हो लें। इस संबंध में भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी त्रुटि, विसंगति, कमी अथवा विवाद के लिए ऋण वसूली अधिकरण (DRT) उत्तरदायी नहीं होगा।
5. आरक्षित मूल्य का 10% अर्थात् रु. **for Prop. No.1 Rs.3,15,000.00 (Rupees Three Lakh Fifteen Thousand only); Prop. No.2 Rs.3,73,000.00 (Rupees Three Lakh Seventy Three Thousand only);** ईएमडी के रूप में BAANKNET वॉलेट में जमा करना होगा तथा उसका विवरण बोली प्रपत्र में अंकित करना होगा।
6. ऑनलाइन बोली दिनांक **17-08-2026** को सायं 5:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेगी।
7. ऑनलाइन प्रस्तुत बोली प्रपत्र एवं संलग्नकों की प्रति वसूली अधिकारी, डीआरटी, जबलपुर, द्वितीय एवं तृतीय तल, संचार विकास भवन (बीएसएनएल भवन), रेजीडेंसी रोड, मुख्य डाकघर के निकट, दक्षिण सिविल लाइन्स, जबलपुर को यथाशीघ्र प्रेषित की जाएगी।
8. ऑनलाइन बोली प्रक्रिया प्राप्त उच्चतम बोली से प्रारंभ होगी तथा प्रत्येक अगली बोली में न्यूनतम वृद्धि रु. **for Prop. No.1 Rs.32,000.00 (Rupees Thirty One Thousand only); Prop. No.2 Rs.38,000.00 (Rupees Thirty Eight Thousand only);** होगी। नीलामी समाप्ति से पूर्व कोई बोली प्राप्त होने पर प्रणाली द्वारा नीलामी समय स्वतः 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा।
9. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी उसी खाते में वापस की जाएगी जिससे भुगतान किया गया था। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईएमडी जमा करने के पश्चात बोलीदाता उसे वापस नहीं ले सकेगा अन्यथा राशि जब्त कर ली जाएगी।
10. स्थावर संपत्ति के मामले में सफल उच्चतम बोलीदाता को घोषणा के अगले दिन, अपनी बोली स्वीकृत होने पर, बोली राशि का 25% (ईएमडी घटाकर) **INDIAN BANK, CIVIL LINES BRANCH, JABALPUR.** में वसूली अधिकारी, ई-नीलामी खाता, डीआरटी जबलपुर, खाता संख्या **7890303849**, आईएफएससी कोड **IDIB000C627** में RTGS/NEFT द्वारा जमा करना होगा। चूक होने पर संपत्ति पुनः विक्रय हेतु प्रस्तुत की जाएगी तथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
11. सफल बोलीदाता को शेष 75% राशि तथा विक्रय राशि का 1% पाउंडेज शुल्क एवं प्रत्येक संपत्ति पर अतिरिक्त रु.10/- नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर, क्रम संख्या 10 में उल्लिखित खाता संख्या **7890303849** में आरटीजीएस (RTGS)/एनईएफटी (NEFT)/मनी ट्रांसफर के माध्यम से जमा करना होगा। यदि पंद्रहवाँ दिन रविवार अथवा अन्य अवकाश का दिन हो, तो भुगतान उसके पश्चात् आने वाले प्रथम कार्य दिवस पर किया जा सकेगा। निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान न किए जाने की स्थिति में, संपत्ति के विक्रय हेतु नवीन विक्रय उद्घोषणा (Fresh Proclamation of Sale) जारी कर पुनः नीलामी की जाएगी। ऐसी स्थिति में जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त (Forfeited) कर ली जाएगी तथा चूक करने वाला क्रेता (Defaulting Purchaser) उक्त संपत्ति अथवा उसके पुनर्विक्रय से प्राप्त किसी भी राशि पर अपना समस्त दावा एवं अधिकार खो देगा।
12. संपत्ति का विक्रय "जैसी है जहाँ है तथा बिना किसी शिकायत के आधार पर" (**As is Where is and No Complaint Basis**) किया जाएगा।
13. संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा।
14. वसूली अधिकारी को बिना कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा विक्रय स्थगित/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
15. इच्छुक बोलीदाता बैंक के पास उपलब्ध स्वामित्व अभिलेखों का अवलोकन करें तथा संपत्ति की पहचान, विवरण एवं भार आदि की स्वयं जांच करें। इसकी शुद्धता के लिए डीआरटी उत्तरदायी नहीं होगा।



Handwritten signature and date: 24.06.26

16. बोलीदाता अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इंटरनेट, नेटवर्क, सिस्टम क्रैश या विद्युत व्यवधान के लिए डीआरटी/बैंक/सेवा प्रदाता उत्तरदायी नहीं होंगे।
17. उच्चतम बोली "अनुमोदन के अधीन" अस्थायी रूप से स्वीकार की जाएगी। विक्रय की पुष्टि होने तक बोलीदाता को संपत्ति पर कोई अधिकार या स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा।
18. विक्रय पर लागू स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क एवं अन्य वैधानिक शुल्क सफल क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।
19. विक्रय प्रमाणपत्र केवल उन्हीं व्यक्ति/यक्तियों के नाम जारी किया जाएगा जिनके नाम बोली प्रपत्र में उल्लिखित हैं।
20. विक्रय प्रमाणपत्र में बोली प्रपत्र में उल्लिखित नामों के अतिरिक्त किसी अन्य नाम को जोड़ने या प्रतिस्थापित करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
21. बोलीदाता अपने यूजर आईडी, पासवर्ड एवं अन्य गोपनीय जानकारी किसी को भी प्रकट न करें।
22. बोलीदाताओं को समय विलंब, अधिक ट्रैफिक, सिस्टम/विद्युत विफलता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करने की सलाह दी जाती है।
23. ई-नीलामी सेवा प्रदाता, बैंक के अधिकारी, उनके प्रतिनिधि, कर्मचारी एवं एजेंट ई-नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के विवरणों की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेंगे।

स्थान: जबलपुर

दिनांक: 22.06.2026




(प्रीति देसाई) 22.06.26

वसूली अधिकारी-I

Ms Priti Desai
Recovery Officer-I
Debts Recovery Tribunal
Govt. of India, Ministry of Finance
Jabalpur (M.P. & C.G. States)